गंगा को बचाने के लिए ✓

Rashtriya Sahara 9-12-16

सरकार ने गंगा में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह बनाए रखने और इस नदी पर आश्रित पारिस्थितिकी को बचाए रखने के लिए गंगा और इसकी सहायक नदियों के आसपास नये निर्माण की मंजूरी न देने का सैद्धांतिक फैसला किया है। अंतरमंत्रालयी समूह, जिसने इस बाबत सिफारिश की है, गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास नये निर्माण पर रोक लगाने संबंधी अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे रहा है। समूह का गठन केंद्र सरकार ने किया था। नदियों के पर्यावरणीय प्रवाह और पारिस्थितिकी को कायम रखने संबंधी सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाने वाली रिपोर्ट के साथ ये सिफारिश नत्थी की जाएंगी। रिपोर्ट उत्तराखंड से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा और उसकी सहायक जलधाराओं को संरक्षित करने को लेकर है। कहना न होगा कि गंगा का पुनरुद्धार शुरू से ही राजग सरकार की चिंता के केंद्र में है। मोदी सरकार ने गंगा को जीवंत नदी बनाने की गरज से पृथक मंत्रालय बनाया। नमामि गंगे नाम से महत्त्वाकांक्षी योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया। इस योजना के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान 20 हजार करोड़ रुपये व्यय करने की मंजूरी दी है। इसी से गंगा के पुनरोद्धार को लेकर सरकार की गंभीरता का पता चल जाता है। दरअसल, 2013 में उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ से हुई भीषण क्षति का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि गंगा नदी के किनारे अगले आदेश तक किसी नये हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन नहीं किया जाए। दिसम्बर, 2014 में शीर्ष अदालत ने पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिया कि पहले से ही क्रियान्वित की जा रहीं छह पनबिजली परियोजनाओं पर भी रिपोर्ट पेश करे। लता तपवन, कोटलीभेल आईए, अलकनंदा, खिराव गंगा, भियुंदर गंगा तथा जेलम तमक नाम की इन परियोजनाओं की समीक्षा के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की गई। समिति ने फरवरी, 2015 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इसमें समिति ने कहा था कि इन छह परियोजनाओं को मौजूदा रूप में क्रियान्वित किया जाता है, तो नदी की जैव-विविधता प्रभावित होने का अंदेशा है। साथ ही, नदी-प्रणाली तहस-नहस हो सकती है। नदी के आसपास की पारिस्थितिकी और वन्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की भी आशंका है। इस रिपोर्ट के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय से विशेषज्ञों के दल द्वारा तैयार ऐसी सिफारिशें पेश करने को कहा जिनसे नदी को सदानीरा बनाए रखा जा सके। दरअसल, नित बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं के केंद्र में जल, जंगल, जमीन हैं। इनका संरक्षण किए जाने की जरूरत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इनके संरक्षण में ही मानव जीवन का अस्तित्व सुरक्षित रह सकता है। सरकार को इस मसले पर संजीदा ही कहा जाएगा कि उसने छह जल परियोजनाओं में निवेश किए जा चुके धन को वापस करने पर भी सहमति जतला दी है। आने वाले दिन गंगा और सहायक नदियों के संरक्षण के लिए अहम साबित होने वाले हैं।

✓ Dainik Bhaskar 10-12-15

पाक संबंधी नीति में स्पष्टता और निरंतरता आवश्यक

सुषमा स्वराज अफगानिस्तान पर आयोजित 'हार्ट ऑफ एशिया' सम्मेलन में भाग लेने इस्लामाबाद गईं, लेकिन सबका ध्यान वहां पाकिस्तान के नेताओं से उनके द्विपक्षीय संवाद पर लगा रहा। इनमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके विदेश नीति सलाहकार सरताज अजीज से भारतीय विदेश मंत्री की मुलाकातें खास रहीं। सुषमा ने वहां घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले वर्ष सार्क शिखर बैठक में भाग लेने इस्लामाबाद जाएंगे। यानी वह यात्रा भी बहुपक्षीय बैठक के संदर्भ में होगी, लेकिन स्वाभाविक है कि तब भी मुख्य ध्यान मोदी की पाकिस्तानी नेताओं के साथ होने वाली वार्ताओं पर लगा रहेगा। कुल-मिलाकर अब साफ है कि पेरिस में मोदी की शरीफ से हुई मुलाकात से दोनों देशों के बीच बड़े संपर्कों की शुरुआत हो गई है। मोदी-नवाज मुलाकात के बाद बैंकाक में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तथा विदेश सचिव मिले। कहा जा सकता है कि उससे दोनों देशों में टूटा संवाद फिर बहाल हो गया है। सुषमा ने 'हार्ट ऑफ एशिया' सम्मेलन के अपने संबोधन में पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है, जब दोनों देश परिपक्वता एवं आत्म-विश्वास का परिचय देते हुए आपसी संबंध आगे ले जाएं। तो क्या अब यह मानना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में सुधार की वास्तविक संभावना पैदा हो गई है? दोनों देशों के रिश्तों का इतिहास देखते हुए ऐसा भरोसा आसानी से पैदा नहीं हो सकता। जब तक पाकिस्तान अपने सामरिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आतंकवाद का सहारा लेना नहीं छोड़ता तथा जम्मू-कश्मीर पर यथार्थवादी रुख नहीं अपनाता, उससे दोस्ताना संबंधों की आशा निराधार बनी रहेगी। फिर भी भारत में हमेशा ही सोच की एक धारा यह रही है कि चूंकि हम पड़ोसी बदल नहीं सकते, अतः पाकिस्तान से वार्ता के तार जुड़े रहने चाहिए। मगर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी कभी इस राय की समर्थक नहीं रही। अतः पिछले वर्ष सत्ता में आने के बाद उसने पाकिस्तान से रिश्तों की नई लक्ष्मण-रेखाएं तय कीं, तो उसे स्वाभाविक घटनाक्रम माना गया। मगर अब अचानक उससे हटकर एनडीए सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत और संपर्क बनाए रखने की राह अपना ली है। संभव है कि यह रास्ता बेहतर नतीजे दे। किंतु देश की अपेक्षा होगी कि सरकार पाकिस्तान संबंधी अपनी नीति में निरंतरता एवं स्पष्टता लाए और इस बारे में देश को भरोसे में लेते हुए आगे बढ़े।

उत्पीड़न के विरुद्ध

Jansatta 9-12-15

कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें यौन उत्पीड़न जैसी स्थितियों के विरुद्ध संरक्षण देने के मकसद से अनेक कानूनी उपाय हैं। लेकिन सच यह है कि व्यावहारिक रूप में आज भी बहुत सारी महिलाओं को अलग-अलग रूप में अपने सम्मान और गरिमा के खिलाफ कई असहज हालात का सामना करना पड़ता है। इससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि बहुत सारी महिलाओं को अपने ही अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती कि कार्यस्थल पर अगर उनके साथ यौन-उत्पीड़न जैसी कोई घटना होती है तो वे उसकी पहचान कैसे करें और अपनी शिकायत कहां दर्ज कराएं। इससे जुड़े नियम-कायदों के बारे में जानकारी नहीं होने के चलते भी कई पुरुष किसी महिला कामगार के सम्मान का खयाल रखना जरूरी नहीं समझते। इसलिए देर से ही सही, केंद्र सरकार ने एक जरूरी पहल के तहत महिलाओं के यौन शोषण-उत्पीड़न से जुड़े नियम-कानूनों से संबंधित एक पुस्तिका जारी की है। इसमें कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (रोकथाम, निषेध और निवारण) कानून, 2013 की तर्ज पर जरूरी सूचनाएं और दिशा-निर्देश दर्ज हैं और यह बताया गया है कि किन स्थितियों में क्या कदम उठाए जाने चाहिए और किस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। जाहिर है, यह पुस्तिका महिला कामगारों के बीच जागरूकता पैदा करने सहित सभी कर्मचारियों, नियोक्ताओं और शिकायत समिति के लिए भी बेहद उपयोगी साबित होगी। फिलहाल दफ्तरों और दूसरे तमाम कार्यस्थलों पर कामकाज के जिन हालात में महिलाओं को उत्पीड़न के अलग-अलग आयाम के मामले में जैसे समझौते करने पड़ते हैं या चुप रह जाना पड़ता है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि उन्हें अपने हक और कानूनी संरक्षण के बारे में ठीक से जानकारी नहीं होती। ऐसी स्थिति में इस पुस्तिका की अहमियत समझी जा सकती है।

दरअसल, सख्त कानूनों के बावजूद समाज के सामान्य ढांचे से लेकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन संगठित स्वरूप वाले संस्थानों या कंपनियों में भी स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। अक्सर कोई पुरुष कर्मचारी कार्यस्थल पर भी महिलाओं को लेकर अपने पारंपरिक सामाजिक सोच से संचालित होता है और अपनी किसी सहकर्मी के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल या व्यवहार कर बैठता है जो एक व्यक्ति के रूप में महिला के सम्मान का हनन और कानून की कसौटी पर अपराध होता है। संभव है कि पितृसत्तात्मक मूल्यों पर आधारित अपने सामाजिक प्रशिक्षण से बनी मानसिकता के चलते एक पुरुष ऐसा करता है, जिसमें महिलाओं की गरिमा और अधिकारों के लिए शायद ही कोई जगह है। लेकिन एक सभ्य समाज अपने विकास क्रम में सबके सम्मान और हक को सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। मगर सच यह है कि विशाखा दिशा-निर्देश या तमाम कानूनी उपाय भी अब तक इस समस्या को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सके हैं। जाहिर है, किसी भी कानून पर जमीनी अमल प्रशासन की सक्रियता के साथ-साथ समाज की जागरूकता के स्तर पर भी निर्भर करता है। इसलिए बनाए गए कानूनों को सख्ती से लागू करने के साथ-साथ सरकार को ऐसे सामाजिक प्रशिक्षण का ढांचा भी तैयार करना चाहिए, जिसमें न सिर्फ महिलाएं अपने सम्मान, गरिमा और अधिकारों को लेकर जागरूक हों, बल्कि पुरुषों सहित समूचा समाज अपनी बुनियाद में ही स्त्री विरोधी पितृसत्तात्मक मूल्यों से मुक्त हो सके।

Economic Times 10-12-15 ✓

Not the Odd Plan, But a Real Climate Change

Attempting to reduce heightened air pollution in the National Capital Territory by curbing vehicular traffic by 50% at short notice is a drastic measure by fiat. The fact that the Delhi government seems determined to go ahead with its haphazard move 'on a trial basis' nevertheless points at a serious environmental problem. The broad details of the 'odd-even' number rule for plying vehicles on Delhi roads are awaited. Strict compliance would seriously inconvenience and hassle commuters given the sheer lack of any supportive public transport system in the sprawling city. Instead, an appeal for voluntary compliance would be more practical.

To purposefully reduce air pollution in Delhi and beyond, we clearly need to make public transport an attractive proposition. Delhi needs to quickly ramp up and strengthen its bus fleet. We need to speedily have a system in place that provides real-time information on bus arrivals, seat availability, etc, at bus stops. In tandem, the way ahead is to have smartphone apps for handy real-time user information so as to rev up public transport usage. We need to smartly leverage information technology for a vital public purpose like urban transport. Phone apps can lead to real-time car pooling and shared transport.

Delhi Metro needs to run more six- and eight-carriage trains to better cope with demand. Increased frequency of trains on the busy metro corridors also makes perfect sense. Office-goers would gladly pay a bit more for less crowded commuting. The bigger challenge is to quickly bring down sulphur content in automotive fuels to Bharat Stage VI levels. Going by the polluter-pays principle, a modest cess on diesel and petrol can better allocate resources for cleaner fuel. In parallel, emissions controls in thermal power plants need tightening.

Man Made Calamity

Times of India 10-12-15

Humanitarian crisis caused by floods in Chennai could have largely been prevented

As Chennai emerges from the worst floods it has seen in over a hundred years, the sordid saga of how heavy rain turned the city into a disaster zone is slowly unfolding. There is no questioning the fact that such a quantum of rain can cause havoc in any city, particularly those with lowlands. But the catastrophe Chennai faced went beyond this.

Water release from the brimming Chembarambakkam reservoir on the city's outskirts made this calamity a major tragedy. Record rain in mid-November had exposed the abysmal state of the city's infrastructure. Even as the city was getting back on its feet, weather agencies predicted 500mm of rain on December 1-2. So government and the civic agency did have time to plan, but got entangled in red tape instead. It has come to light that PWD officials had advised higher-ups to bring down the reservoir level from 22 to 18 feet to make room for anticipated inflow. But this was ignored and sluice gates were opened when the reservoir reached its capacity of 24 feet. This water then spread out all over the city, flooding even areas largely unaffected by the heavy rain.

What stands out starkly, therefore, is the directionlessness of government officials. Delegation of power is almost non-existent in the present autocratic regime in Tamil Nadu. As a result, during the crucial hours when help was desperately needed, hapless and marooned people did not know whom to turn to. The Army, the Coast Guard and the National Disaster Response Force stood by along with the entire police force, as there was total lack of coordination between departments in the state government. A shocked world was witness to a macabre drama played out on flooded streets – marooned residents beseeching help, rescuers unable to reach them, hundreds washed away, party functionaries obstructing or taking credit for the splendid gestures of people from all walks of life who filled in the vacuum in rescue and relief operations.

What Tamil Nadu needs is a command structure that can respond to crises and act in coordination – among departments and with external agencies – especially in the crucial early hours. This is one calamity that has touched the lives of every individual in the city, high or low. And it was brought on largely by government ineptitude.

A LINE IN THE WATER

Indian Express 9-12-15

Curbs on construction on the Ganga must be part of a larger effort to keep alive the river ecosystem

AN INTER-MINISTERIAL GROUP, including Water Resources Minister Uma Bharti, Environment Minister Prakash Javadekar and Power Minister Piyush Goyal, has decided, in principle, that no new construction would be allowed on the River Ganga or any of its tributaries. The decision, to be conveyed to the Supreme Court on January 20, has been taken to ensure the river's minimum environmental flow and protect the ecosystem that depends on it. This is a welcome move for two reasons. One, it shows the acknowledgement, among policymakers, of the intricate set of factors that must be taken into account to keep alive and rejuvenate a river system like the Ganga. Two, in the past, policymakers have shied away from calling a halt to power projects that clearly threatened delicately balanced and even critically endangered river ecosystems. On this occasion, Bharti has offered to compensate the six hydroelectric power projects (HEPs) to be built on the Alaknanda and Bhagirathi river basins in Uttarakhand, out of the Rs 20,000 crore approved for Namami Gange. The decision revives hope of not only rejuvenating the Ganga, but also of averting tragedies like the Uttarakhand floods in 2013.

The sequence of events that led to the decision, however, illustrates how government departments often work at cross purposes. In the aftermath of the floods, the Supreme Court had prohibited the setting up of any new HEPs in Uttarakhand. In February this year, a four-member committee of the environment ministry evaluating the cluster of six HEPs argued against them. In October, another expert body set up by the environment ministry, which included the Central Water Commission (which comes under the water resources ministry), overturned the first committee's recommendation. And now, yet another five-member committee — this time led by the secretary of the water resources ministry — has reverted to the earlier decision against setting up the HEPs.

A large part of the problem is the lack of adequate information about ecological flows. There is hardly any regulation in this regard and guidelines about what is optimal or desirable are sketchy. There is little in terms of mapping of aquatic fauna. Drawing a line on HEPs is just one element in the effort to arrest the decline. The Centre might also want to relook at other schemes that show more ambition than ecological sense — like the proposed linking of 101 rivers across the country.

Indian Express 9-12-15 ✓

THE RIGHT FORUM

Apex court does well to emphasise primacy of the legislature, and the political process, in deciding on a uniform civil code

A THREE-MEMBER BENCH of the Supreme Court led by Chief Justice T.S. Thakur on Monday clarified that Parliament alone had the power to legislate a uniform civil code (UCC), and that it was not for the judiciary to direct lawmakers in this regard. The judges said that the apex court's past observations hinting at the desirability of the UCC were in the "realm of hope and expectations" and emphasised that it could not issue a directive to the government on the matter. The apex court's remarks, made in the context of a PIL that pleaded for a UCC, underline the separation of powers envisaged by the Constitution and point to the primacy of the legislature in addressing contentious issues that require a political process and consensus.

The UCC was a contentious matter even at the time of the framing of the Constitution. It is no easy task to build a consensus on a common code, considering the diversity of faiths and traditions in the subcontinent. The Constituent Assembly wisely refused to force a UCC on the new republic, and left it as a suggestion in the directive principles of state policy in the Constitution. The apex court on Monday pointed out that it has read the directive principles into the fundamental rights only in exceptional situations and hinted that the UCC did not merit the same consideration. The court also made it clear, however, that its stance should not be read as a refusal to address the discrimination and inequalities embedded in specific personal laws. For instance, if the issue at stake is harassment to Muslim women due to Muslim personal law — as the petitioner, Ashwini Kumar Upadhyay, a lawyer and BJP member, had pleaded — the court said, "we may consider it (court intervention) if a Muslim woman comes to the court and alleges discrimination... but it be left to the community where discrimination and gender inequality is alleged to come to us".

In the past, proponents of a UCC have framed their argument in terms of the imperative of national integration, or presented it as a women's rights issue. Yet, in a climate where stirrings of a majoritarian nationalism have stoked new apprehensions in minority communities, it is all the more necessary to tread sensitively and carefully on the matter. In any case, as the court has pointed out, the debate and the negotiation must be led by the political class and the legislature is the right platform to host it.

राष्ट्र निर्माण में तो विपक्ष सहयोग दे

• संदर्भ- देश के संस्थापकों की आशा, अपेक्षाओं और सपनों के साथ न्याय

Dainik Bhaskar 10-12-15

एम. वेंकैया नायडू
केंद्रीय शहरी विकास, आवास और संसदीय मामलों के मंत्री

ऐसे समय जब देश तेजी से आर्थिक कदम उठाकर एक दशक के पतन के बाद विश्व बिरादरी में अपना वाजिब स्थान ग्रहण कर रहा है, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के राजनीतिक विरोधियों ने देश व दुनिया में उसे बदनाम करने का अभियान छेड़ रखा है। जाहिर है इन्हें सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों के लिए जनता में बढ़ती सराहना हजम नहीं हो रही है। बहुमत हासिल कर सत्ता में आई सरकार के खिलाफ यह बढ़ती असहिष्णुता सिकुड़ती कांग्रेस और भ्रमित वामदलों की असुरक्षा ग्रंथी से निकली है। जहां दुनिया की शक्तियां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के उदय को स्वीकार रही हैं वहीं, भाजपा के विरोधी राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श को विनाशकारी पथ पर ले जा रहे हैं। हालांकि, वक्त की मांग तो गरीबी हटाने, साक्षरता, सबको आवास, किसानों की आजीविका में सुधार, शहरी-ग्रामीण का फर्क खत्म करने और आतंकवाद को कुचलने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति कायम करने की है। यदि विपक्षी दल देश की तरक्की और जनकल्याण के प्रति गंभीर होते तो संसद के बाहर और भीतर बहस अधिक रचनात्मक तथा सार्थक होती।

आइए, थोड़ा ठहरकर संविधान के निर्माण के उत्सव और डॉ. भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित संसद के दो दिवसीय विशेष सत्र का महत्व समझें। इसके पीछ मूल विचार संविधान सभा की बहस, भारत के महान सपूतों के ऐतिहासिक भाषणों और देश के लोगों की अपेक्षा-आकांक्षाओं पर गौर करना था। मुझे यह देखकर निराशा हुई कि इस मौके पर बहस के दौरान मौजूदा चुनौतियों पर विचार करने की बजाय हम एक-दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते रहें। अब यह देखने का वक्त आ गया है कि जनता की अपेक्षा-आकांक्षाएं कहां तक पूरी हुई हैं। निःसंदेह बाबासाहेब दिल और दिमाग के गुणों वाले कद्दावर राष्ट्रीय नेता थे। हिंदू समाज की असमानताओं को उन्होंने सभ्यतागत खामी की तरह देखा और इसे दूर करने के लिए जीवन समर्पित कर दिया।

डॉ. आंबेडकर महान सामाजिक योद्धा थे और अपनी प्रखर बुद्धि और योग्यताओं के कारण सारी अड़चनों, खामियों व अपमान को मात देकर उन्होंने अपनी जगह बनाई। इसके बाद भी उनके राजनीतिक चिंतन में नफरत व शत्रुता को कोई स्थान नहीं था। उनकी लड़ाई समाज के दोमुंहेपन, विरोधाभास और बुराइयों से थी, हिंदू समाज और सभ्यता से नहीं। क्योंकि उनके लिए राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ ब्रिटेन से सत्ता का हस्तांतरण नहीं बल्कि राष्ट्र का पुनर्निर्माण था। आज भारत ने जो भी हैसियत हासिल की है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। वे महान अर्थशास्त्री भी थे और उन्होंने 'रुपए की समस्या : इसका मूल और समाधान' विषय पर पीएचडी भी की थी। ये डॉ. आंबेडकर ही थे, जिन्होंने संवैधानिक व्यवस्था में सबसे पहले वित्तीय संघवाद की अवधारणा रखी। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा व प्रांतों की वित्तीय स्वायत्तता, डॉ. आंबेडकर के व्यापक शोध पर ही आधारित है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था।

जातियों को राष्ट्र विरोधी बताते हुए डॉ. आंबेडकर ने कहा कि इनके कारण सामाजिक जीवन में अलगाव, दुर्भावना और ईर्ष्या पैदा होती है। उन्होंने कहा, 'यदि हम राष्ट्र को हकीकत का रूप देना चाहते हैं तो इन सब कठिनाइयों से उबरना होगा, क्योंकि किसी राष्ट्र में भाईचारा ही एकमात्र तथ्य होता है। इसके बिना समानता व स्वतंत्रता रंग-रोगन की तरह सतही होंगी।' वे मूल कानूनों- दिवानी और आपराधिक कानूनों में एकरूपता चाहते थे, इसीलिए हिंदू कोड बिल पारित होते न देखकर उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। वे जजों द्वारा जजों के चयन के भी खिलाफ थे। उन्होंने कहा था, 'चीफ जस्टिस को जजों की नियुक्ति पर वीटो करने देना वास्तव में उन्हें ऐसा अधिकार देना है, जो हम राष्ट्रपति या सरकार को भी नहीं देना चाहते।' डॉ. आंबेडकर की मूलभूत चिंता दलित वर्गों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की सामाजिक दमन से मुक्ति थी। जहां दलितों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए संविधान में विशेष प्रावधानों से आरक्षण नीति सामने आई और कोई शक नहीं कि इसका उनकी सामाजिक-आर्थिक हैसियत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन उनके और समाज के अन्य वर्गों के बीच विकास के कई सूचकांकों पर अंतर अब भी बरकरार है। आजादी के 68 वर्षों बाद भी हमारा देश निरक्षरता (26 फीसदी), गरीबी (22 फीसदी गरीबी रेखा के नीचे), भ्रूण हत्या, दहेज, अस्पृश्यता, महिला अत्याचार, राजनीति में धनबल, राज्यों के लिए विशेष तर्जा और नई जातियों को अजा, जजा या पिछड़ा वर्ग श्रेणी में लाए जाने के लिए मारा-मारी जैसी बुराइयों से लड़ रहा है। देश में दो करोड़ मकानों की कमी, 23 फीसदी लोगों तक बिजली की पहुंच नहीं है और 19.49 करोड़ लोग कुपोषण जुझ रहे हैं। वक्त आ गया है कि वैमनस्य फैलाने वालों को समझना होगा कि इसका उलटा परिणाम होगा। जैसा बेंगलुरू में हुआ, जहां कांग्रेस नेता को नकारते हुए स्वच्छ भारत तथा मेक इन इंडिया कार्यक्रम का समर्थन किया गया।

लोग अब राजनीतिक रूप से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए हैं। मामूली कारणों से संसद को न चलने देना वे पसंद नहीं करते। राजनीतिक दल इस पर आत्म-परीक्षण करें तो बेहतर होगा। क्या भारी जनादेश को स्वीकार करना उनके लिए इतना कठिन है? प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के योगदान को मान्यता न देने के कांग्रेस के आरोप पर मैं बेहिचक यह घोषणा करना चाहता हूं कि हम नेहरूजी का सम्मान करते हैं और उनके योगदान की अनदेखी करने का हमारा कभी इरादा नहीं था। किंतु साथ ही मैं कांग्रेस नेताओं से जानना चाहूंगा कि क्यों उनकी सरकारों ने डॉ. आंबेडकर, सुभाषचंद्र बोस, डॉ. राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल जैसे महान लोगों के महत्वपूर्ण योगदान को उचित सम्मान नहीं दिया?

क्या सोद्देश्यपूर्ण और विकास लाने वाली योजनाओं पर विपक्षी दलों का समर्थन मांगना कोई बहुत बड़ी मांग है? अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर समान नागरिक संहिता बनाने, धोखादायक तरीकों से धर्मांतरण रोकने, सर्वशिक्षा, महिलाओं के सशक्तीकरण और आरक्षण को लागू करने के लिए हम सब मिलकर संघर्ष करें। हम आर्थिक विषमता घटाएं, खेती को लाभप्रद बनाएं, धर्म व जाति की राजनीति व इसका का अपराधीकरण बंद करें, भ्रष्टाचार, धदम धर्मनिरपेक्षता, आतंकवाद को रोकें। विदेशी जमीन पर जाकर लोगों से लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंकने की बात न करें और घरेलू मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और ब्रिटेन जाकर वहां के पदाधिकारियों के आगे गुहार न लगाएं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

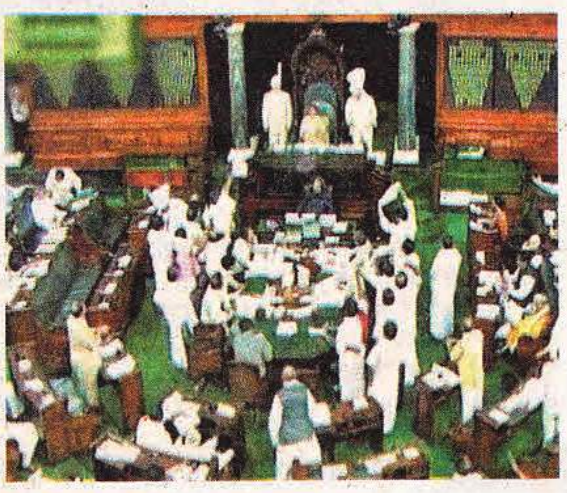

डॉ. आंबेडकर महान सामाजिक योद्धा थे और अपनी प्रखर बुद्धि व योग्यताओं के कारण सारी अड़चनों, खामियों व अपमान को मात देकर उन्होंने अपनी जगह बनाई। फिर भी उनके राजनीतिक चिंतन में नफरत का कोई स्थान नहीं था।

वैमनस्य फैलाने वालों को समझना होगा कि इसका उलटा परिणाम होगा। जैसा बेंगलुरू में हुआ, जहां कांग्रेस नेता को नकारते हुए स्वच्छ भारत व मेक इन इंडिया कार्यक्रम का समर्थन किया गया।

क्या विकास योजनाओं पर विपक्षी दलों का समर्थन मांगना बहुत बड़ी मांग है? अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर समान नागरिक संहिता बनाने, सर्वशिक्षा और आरक्षण को लागू करने के लिए संघर्ष करें।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 8 अंक 245

10-12-15 ✓

साख पर आंच

बुधवार को एक बार फिर संसद के दोनों सदनों में व्यवधान उत्पन्न हुआ। कांग्रेस के नाराज सदस्यों ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली की एक अदालत से समन मिलने के विरोध में ऐसा किया। यह समन एक कंपनी के स्वामित्व के हस्तांतरण के मामले में जारी हुआ है जो नैशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन दोनों वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की अदालत में प्रस्तुति से छूट का अनुरोध खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इस मामले में उनके आचरण से आपराधिकता का संकेत मिलता है। कांग्रेस ने कहा है कि यह मामला राजनीतिक बदले का है। उल्लेखनीय है कि यह मामला भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यन स्वामी की शिकायत पर आधारित है। यह आपराधिक मामला धोखाधड़ी और कोष के दुरुपयोग के आरोपों का है। इसमें कांग्रेस के खजाने से बड़ी मात्रा में धन नैशनल हेराल्ड का नियंत्रण रखने वाली कंपनी के खाते में डालने का आरोप भी शामिल है। इस कंपनी को अनुमानित मूल्य से बहुत कम कीमत पर एक तीसरे संस्थान द्वारा खरीदा गया। लेनदेन की इस शृंखला की प्रतिक्रियास्वरूप कंपनी का स्वामित्व एक न्यास के पास चला गया जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रमुख अंशधारक थे। स्वामी का कहना है कि उन्होंने अवैध रूप से एक ऐसी कंपनी का स्वामित्व हासिल किया जिसके पास उल्लेखनीय और मूल्यवान अचल संपत्ति है।

इस मामले की सच्चाई और गांधी द्वय का व्यवहार आपराधिक था या नहीं, यह बात कानूनी प्रक्रिया से तय होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह मामला सहज तरीके से निपट जाएगा क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल केस का लंबे समय तक लंबित रहना न तो भारतीय राजनीति के हित में होगा और न ही भारतीय न्याय व्यवस्था के। बहरहाल, प्रश्न यह है कि इसका संसद की गतिविधियों से क्या लेनादेना है? अगर विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध से काम किया भी गया है तो कांग्रेस के नेताओं को निश्चित तौर पर यह बात सदन में जोरशोर से रखनी चाहिए बजाय कि उसमें व्यवधान पैदा करने के। व्यवधान करने का निर्णय न केवल राजनैतिक रूप से गलत है बल्कि वह गैरजिम्मेदाराना भी है। गैरजिम्मेदाराना इसलिए कि संसद के पास तमाम काम लंबित हैं। इसमें अहम आर्थिक सुधार विधेयक भी शामिल हैं जिन पर चर्चा जरूरी है। राजनीतिक दृष्टि से इसलिए कि इससे यह छवि और मजबूत होगी कि कांग्रेस पार्टी अब गांधी परिवार की मददगार के सिवा कुछ और नहीं रह गई है। इस मामले में भी यही आरोप है कि पार्टी फंड के पैसे का दुरुपयोग परिवार के हित में किया गया। इस बात की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ भी अदालत में मुकदमा चल रहा है लेकिन पार्टी ने उनके लिए संसद का कामकाज ठप नहीं किया।

इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा ज्ञान आयोग के पूर्व सदस्य सैम पित्रोदा तथा कई अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं और इन सभी को 19 दिसंबर को अदालत में पेश होने को कहा गया है। कांग्रेस आखिर चाहती क्या है? क्या वह उस दिन तक संसद को बाधित रखेगी? इस हो-हल्ले में अभी यह तक स्पष्ट नहीं है कि पार्टी के आरोप दरअसल हैं क्या? क्या वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रश्नचिह्न लगा रही है? आखिरकार पूरा मामला अदालत के आदेश से ही तो जुड़ा हुआ है। पार्टी मिनट दर मिनट अपनी विश्वसनीयता गंवा रही है। अगर वह जरा सी भी विश्वसनीयता बचाए रखना चाहती है तो उसे इस कथित 'बदले' के खिलाफ सदन में आवाज बुलंद करनी चाहिए ताकि देश की जनता अपने स्तर पर फैसला कर सके।